प्रेस नोट **दिनांक 08/07/2026**

एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे का चोरी के नगद 766/- रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08/07/2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर वलीदपुर मोड़ से मु0अ0सं0 221/26 धारा 305. थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त फरहान उर्फ अन्न हजारे पुत्र मो0 अकरम निवासी कुर्थीजाफर पुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी किये गये 766 /- नगद रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है नगद रुपये पंचमुखी हनुमान मंदिर से 3 दिन पहले रात में अल्लीपुर के मंदिर के दान पेटी से चोरी किया था। वादी के तहरीर पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/2026 धारा 305,बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर चोर/ अभियुक्त मो0 फरहान उर्फ अन्न हजारे पुत्र मो0 अकरम निवासी कुर्थीजाफर पुर थाना कोपागंज जनपद मऊ के पास से बमरादशुदा एक अदद ई- रिक्शा नंबर UP 54 BT 2650 को मुकदमा उपरो0 में कब्जे में लिया गया तथा उक्त प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मो0 फरहान उर्फ अन्न हजारे पुत्र मो0 अकरम निवासी कुर्थीजाफर पुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. पंजीकृत मु0अ0सं0 221/2026 धारा 305,317(2) बीएनएस

बरामदगी विवरण

1. 766 रूपये

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 08.07.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 33 टीम गठित कर जनपद के 37 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1000 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 278 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा एमआरएम पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 2714.45/- रुपये कराये गये वापस-

पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय व प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर पोर्टल शिकायत संख्या 23103260049450 आवेदक सुनील कुमार पुत्र श्रवण प्रसाद निवासी नूरूवल्लाहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के खाते से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक के खाते से फ्रॉड कर लेने सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत थाना साइबर क्राइम पर की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम मऊ में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये आवेदक सुनील कुमार पुत्र श्रवण प्रसाद निवासी नूरूवल्लाहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 2714.45/- रुपये एम.आर.एम. पोर्टल से वापस कराया गया।

जनपद के साइबर टीम द्वारा साइबर ठगी के 02 पीड़ितों के खाते में कुल धनराशि 47,000/- रुपये वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा **1.** थाना मुहम्मदाबाद साइबर पोर्टल आपेदक एजाज अहमद पुत्र अबुल हसन निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा साइबर पोर्टल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से फ्राड किये गये 42000/- रुपये तथा 2. थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा आवेदक जैश पुत्र दिनेश निवासी पिढ़वल थाना घोसी 5000/- रुपये

जिसके सम्बन्ध में आवेदको द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत थाना मुहम्मदाबाद व थाना घोसी पर की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये एजाज अहमद पुत्र अबुल हसन निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 42000/- रुपये वापस कराया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 08.07.2026 को 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी - 1 कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2011 धारा 498ए,306 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के आरोपी चन्दन राम पुत्र सुभाष निवासी पिपरौला थाना कोपागंज जनपद मऊ को धारा 306 में 07 वर्ष कारावास की सजा व ₹5000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया।